प्रकरण संख्या 52/2016 मांगीलाल व अन्य बनाम रमेशचन्द्र व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का वाद तथा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के काउण्टर क्लेम का पर निर्णय दिनांक 02–06–2015 को पारित किया है। वादी/अपीलान्ट द्वारा वाद खारिज किये जाने तथा प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम को स्वीकार किये जाने के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–09–2016 को अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–06–2016 बताते हुए पेश की है। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी एवं जब पटवारी के पास खाते की नकल लेने गये तो उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने देरी का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। खाते की नकल लेने पर जानकारी होने के मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्य वर्णित किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में निर्ण्य पारित किया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। → हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02–06–2015 को निर्णय पारित किया गया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की दिनांक 02–06–2016 बताते हुए यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–09–2016 को प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02–06–2015 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 01–09–2016 को पेश की है, जबकि इसकी मयाद दिनांक 01–08–2015 होती है। अर्थात यह अपील करीब 13 माह देरी से प्रस्तुत की है। प्रथमता तो निर्णय अपीलान्ट/वादी की उपस्थिति में पारित किया गया। आश्यर्च जनक रूप से निर्णय	

की जानकारी के तथ्य मनगढ़न्त अंकित किये हैं। दूसरा यह भी स्पष्ट होता है कि यदि वह उक्त निर्णय दिनांक 02–06–2016 को भी मानता है तो भी उसके द्वारा मयाद में अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रकरण में अपील करीब 13 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं उसके लिए जो आधार लिये गये वे न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है। अपीलान्ट द्वारा मिथ्या एवं असत्य कथन किये जाने के कारण अपीलान्ट का स्वच्छ हाथों से नहीं आना सुस्पष्ट है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02–06–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 52/2016 मांगीलाल व अन्य बनाम रमेशचन्द्र व अन्य